न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः–चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :–370/2017 प्रार्थना पत्र
श्रीमति विमला देवी पत्नि सत्यनारायण ओझा, उम्र बालिग निवासी आर.के.कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

——प्रार्थीया

बनाम

1–श्री अर्जुन पिता जीतमल जाट, उम्र बालिग निवासी सोलबिग्या आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
2–श्री देवकरण पिता रामचन्द्र जाट, उम्र बालिग निवासी जाटोंका खेड़ा–आरजिया " " "
3–श्री अमरा पिता लालू माली, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
4–श्रीमति गीता पत्नि रामकुवार ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
5–श्री ऊंकार पिता भूरा माली, उम्र बालिग निवासी जाटों का खेड़ा–आरजिया तहसील व जिला भील0
6–श्री रामसुख पिता गणेश पिता काना दरोगा, उम्र बालिग निवासी जित्याखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
7–श्री बालू पिता भैरू माली, उम्र बालिग निवासी जाटों का खेड़ा–आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
8–श्री शंकर पिता हजारी जाट, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
9–श्री बालूलाल पिता मीठूलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
10–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा (राजस्थान)

——विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः–16.1.2018

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम आरजिया पटवार हल्का आरजिया भू–अभिलेख निरीक्षक सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1708/1 रकबा 2 बीघा, 1717/1 रकबा 3 बिस्वा, 1717 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2017 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। किन्तु विपक्षीगण संख्या 1 से 6 व 10 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 16.1.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। वकील प्रार्थिया द्वारा विपक्षी संख्या 7, 8, व 9 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण दिनांक 16.1.2018 को कार्यवाही ड्रॉप किये जाने का आदेश दिया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक तरफा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने मे सफल रहने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अत

:: आ दे श ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम आरजिया पटवार हल्का आरजिया भू–अभिलेख निरीक्षक सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1708/1 रकबा 2 बीघा, 1717/1 रकबा 3 बिस्वा, 1717 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सांगानेर जिला भीलवाड़ा को 800/–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय आज दिनांक 16.1.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner